कम्प्यूटर परिपत्र सं0- 1314059 दिनांक 07/10/2013

प0सं0-विधि-4(1)विज्ञप्ति भाग-4/(2013-14)/ 1020 /वा0क0।

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 7 ,2013

महोदय,

नेचुरल एसेन्शियल आयल पर दिनांक 1-1-2008 से 18-5-2012 तक की अवधि में 4 प्रतिशत+यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि तथा इस पर देय ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र सख्या-क0नि0-2-984/ग्यारह-2-2012-9(1)/08 पार्ट-VI(TC), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

" शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नेचुरल एसेन्शियल आयल पर दिनांक 1-1-2008 से 18-5-2012 तक की अवधि में 4 प्रतिशत+यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा क्रेताओं/उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत+यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय /आरोपित कर वसूल कर लिया गया है, उसे वापस नहीं किया जाएगा। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है। "

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(निहाल चन्द्र जैन)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–क0नि0–2– ..../ग्यारह–2–2012–9(1)/08 पार्ट–VI (TC)

प्रेषक,

वीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 **लखनऊःःदिनांकःः ..... अक्टूबर, 2013**

विषयः– नेचुरल एसेन्शियल आयल पर दिनांक 1.1.2008 से 18.5.2012 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि तथा इस पर देय ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नेचुरल एसेन्शियल आयल पर दिनांक 1.1.2008 से 18.5.2012 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा केताओं/उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय/आरोपित कर वसूल कर लिया गया है, उसे वापस नहीं किया जाएगा। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

2642

2. कृपया तद्नुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।